

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 30.12.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 30.12.2025 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री पी.रामजी, सदस्य
अति-महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 236 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 236 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्लिद्यत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	रमेश कुमार पुत्र खेमचंद	के.का.अलवर	-
2.	आरिफ मौहम्मद कुरैशी पुत्र मौहम्मद ईशाक	के.का.अलवर	-

mr

h

g

E. P. 1. 10


3.	लक्ष्मण पुत्र नाना मीणा	के.का.उदयपुर	-
4.	मनीराम पुत्र झूमर राम	के.का.अजमेर	-
5.	मोहम्मद रफी रिजवी (मोहम्मद रफीक) पुत्र मोहम्मद जकी रिजवी	के.का.कोटा	-
6.	भगवानाराम पुत्र पेमाराम	के.का.बीकानेर	-
7.	पवन पुत्र मोहनराम	के.का.बीकानेर	-
8.	श्यामवीर पुत्र नेतराम	के.का.बीकानेर	-
9.	रघुवीर पुत्र नेतराम	के.का.बीकानेर	-
10.	सोमराज पुत्र भोजाराम	के.का.बीकानेर	-
11.	मीठूनाथ पुत्र केसा उर्फ केसरानाथ	के.का.अजमेर	-
12.	रतन लाल पुत्र उंकार ढोली	के.का.उदयपुर	-
13.	नरेश पुत्र धरमाराम	के.का.जोधपुर	-
14.	पप्पूराम पुत्र मोती जी	के.का.जोधपुर	-
15.	मोती लाल पुत्र भैराजी	के.का.जोधपुर	-
16.	दीपक पुत्र गोपाल	जि.का.झालावाड़	-
17.	सुनिल कुमार पुत्र चन्द्राराम	के.का.बीकानेर	-
18.	राजूलाल पुत्र लोभालाल उर्फ लोभचन्द	के.का.उदयपुर	-
19.	सुनिल पुत्र भरतसिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
20.	भंवरसिंह पुत्र अनोपसिंह	के.का.जोधपुर	-
21.	कालूराम पुत्र उदाराम	के.का.जोधपुर	-
22.	सोनू उर्फ उमर उर्फ दुर्गाप्रसाद पुत्र भैरूलाल	के.का.जयपुर	-
23.	प्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र भागुराम	के.का.अजमेर	-
24.	बाबूलाल बावरिया पुत्र मोहनलाल	वि.के.का.श्यालावास	-
25.	वक्ताराम उर्फ वख्ताराम पुत्र थावरा	के.का.उदयपुर	-
26.	सुरेन्द्र कुमार उर्फ पिन्दू पुत्र रिछपाल	के.का.बीकानेर	-
27.	भगीया उर्फ भोगीलाल पुत्र धुलजी	के.का.उदयपुर	-
28.	शिवलाल पुत्र सोहनलाल उर्फ रामूडा	के.का.अजमेर	-
29.	अशोक कुमार गृहानी पुत्र मोतीराम	के.का.अलवर	-
30.	बिट्टू घोडेवाला पुत्र गोपीराम	के.का.बीकानेर	-
31.	बंशीलाल पुत्र लालजी ननोमा मीणा	के.का.उदयपुर	-
32.	शंकर पुत्र पौजा पटेल	के.का.उदयपुर	-
33.	सिकन्दर खाँ पुत्र सुलेमान खाँ	के.का.अजमेर	-
34.	हनुमान पुत्र भारमल विशनोई	के.का.अजमेर	-
35.	शंकरलाल पुत्र रूघाराम	के.का.बीकानेर	-
36.	रामेश्वर उर्फ राकेश पुत्र भैराराम	के.का.बीकानेर	-
37.	गोपाल पुत्र पांचू भील	के.का.अजमेर	-
38.	अजीत पुत्र घासीराम	के.का.बीकानेर	-
39.	मोहननाथ पुत्र पदमनाथ	के.का.बीकानेर	-
40.	भागचंद पुत्र ताराचंद	के.का.अजमेर	-
41.	दयाराम पुत्र प्रतापसिंह	के.का.बीकानेर	-

42.	आशीष पुत्र बांकेलाल	के.का.भरतपुर	- 01
43.	किशोर पुत्र टीकूराम	के.का.श्रीगंगानगर	- 11
44.	रामकुमार पुत्र टीकूराम	के.का.श्रीगंगानगर	- 21
45.	पन्नाराम पुत्र श्योजीराम	वि.के.का.श्यालावास	- 31
46.	प्रिंस मेहता उर्फ राजकुमार पुत्र नाथुसिंह	के.का.उदयपुर	- 41
47.	सुशील कुमार उर्फ झिला पुत्र विजयसिंह	के.का.बीकानेर	-
48.	सोमा पुत्र मोती जी	के.का.जोधपुर	- 51
49.	गोवाराम पुत्र मोती जी	के.का.जोधपुर	- 61
50.	पप्पूराम पुत्र मोती जी	के.का.जोधपुर	- 71
51.	भुपेन्द्र उर्फ भानु पुत्र राजकुमार	के.का.उदयपुर	- 81
52.	देवेन्द्र पुत्र मीठालाल	के.का.उदयपुर	-
53.	जितेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश नारायण	के.का.जयपुर	- 91
54.	भूपराम उर्फ भुपेन्द्र पुत्र पोकरराम	के.का.बीकानेर	- 02
55.	महावीर प्रसाद पुत्र जमनालाल	के.का.अजमेर	- 12
56.	युसुफ पुत्र जाफर	के.का.बीकानेर	- 22
57.	सद्दाम उर्फ बल्लू उर्फ सरफराज उर्फ डेन्दू पुत्र मुन्ना	के.का.कोटा	- 32

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज निर्णय दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में इन दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	राजवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह	के.का.अलवर	-
2.	राजबीर उर्फ पप्पू पुत्र कालूराम	के.का.अलवर	-
3.	चन्द्रपाल पुत्र श्यामवीर	के.का.बीकानेर	-
4.	हंसराज पुत्र सीताराम	के.का.बीकानेर	-
5.	पृथ्वीराज उर्फ सोनु पुत्र बाबुलाल	के.का.उदयपुर	-
6.	सुखलाल पुत्र हरचंदा	के.का.कोटा	-
7.	प्रीस पुत्र सत्यप्रकाश	के.का.उदयपुर	-
8.	अविनाश उर्फ अवि पुत्र प्रकाश गुस्सर	के.का.उदयपुर	-
9.	दीपक पुत्र श्रीचन्द	के.का.बीकानेर	-



10.	अंकित उर्फ मोनू पुत्र शिशुपाल	के.का.बीकानेर	-
11.	रामलाल पुत्र माधोसिंह	के.का.कोटा	-
12.	महावीर उर्फ पुखराज पुत्र गोपाल लाल	वि.के.का.श्यालावास	-
13.	निखिल गुर्जर पुत्र कैलाश	के.का.कोटा	-
14.	वसीम अकरम पुत्र छोटे भाई उर्फ मो. हुसैन कुंजडा	के.का.उदयपुर	-
15.	करतार सिंह पुत्र हरी सिंह	के.का.भरतपुर	-
16.	सोनू उर्फ सत्येन्द्रसिंह पुत्र शिवराज सिंह	के.का.कोटा	-
17.	कविता पत्नी कुलदीप	म.ब.सु.गृह जयपुर	-
18.	सनीफ मोहम्मद उर्फ सद्दाम पुत्र हलीम मोहम्मद	के.का.कोटा	-
19.	पुनीया उर्फ पुन्नीलाल पुत्र पेमाजी	के.का.उदयपुर	-
20.	गोलू उर्फ गोन्दडी पुत्र ओमा पटेल	के.का.कोटा	-
21.	टीकूराम पुत्र सरदाराराम	के.का.श्रीगंगानगर	-
22.	जगजीत सिंह पुत्र रूपसिंह	के.का.श्रीगंगानगर	-
23.	पालेन्द्र उर्फ पालू पुत्र लालाराम	वि.के.का.श्यालावास	-
24.	सुनिल पुत्र गणेश	के.का.उदयपुर	-
25.	गौरव कुमार पुत्र रमेश कुमार ओझा	के.का.कोटा	-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-

(अ) प्रतिबंधित धारा 376/377/पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	विशेष विवरण
1.	ज्ञानेन्द्र शुक्ला पुत्र कमल कुमार	जि.का.झुन्झुनू	प्रतिबंधित धारा 376(2-झ) आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
2.	लक्ष्मण पुत्र भैरा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
3.	राजवीर उर्फ राजु पुत्र दयाराम	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
4.	कानाराम पुत्र खीमाराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी एवं 376(2)(एल) आई.पी.सी में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) से दण्डित।

5.	महेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(डीबी) आई.पी.सी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक)
6.	परसराम पुत्र रामनिवास	वि.के.का.श्यालावास	बंदी 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
7.	हनुमान पुत्र सुरजाराम	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 एबी आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	राहुल पुत्र तेजपाल	के.का.उदयपुर	बंदी प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
9.	चौथमल भील पुत्र हरिराम उर्फ रामा	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376(3)आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	अरविन्द उर्फ अनिल पुत्र रामाजी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	पपीया पुत्र अणदा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी सपठित 3/4 पोकसो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	नारायण लाल पुत्र छगनलाल	के.का.जोधपुर	पोकसो एक्ट में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) कठोर कारावास से दण्डित।
13.	सुरेश चंद पुत्र मदनलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं पोकसो एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
14.	पुरा पुत्र गला गमेती	के.का.उदयपुर	बंदी पोकसो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
15.	नरेश कुमार पुत्र मल्लाराम	के.का.बीकानेर	पोकसो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
16.	राजेश उर्फ योगी पुत्र भरोसीलाल	के.का.भरतपुर	पोकसो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
17.	जसविन्द्र सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376एबी आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
18.	रोहित उर्फ छोटु पुत्र पन्नालाल कलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
19.	धर्मपाल पुत्र बृजलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(एबी) आई.पी.सी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।

20.	छिन्द्रपाल उर्फ छिन्द्रसिंह पुत्र चेतनराम	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
21.	लोकेश उर्फ लोगर पुत्र नन्दा बागरिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
22.	नरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण	वि.के.का.श्यालावास	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
23.	कोलाराम पुत्र बदाराम	के.का.जोधपुर	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
24.	दीपक कुमार पुत्र भरत कुमार पांचाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट एवं 376(3) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
25.	दिलीप पुत्र प्रभु	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(2) आई.पी.सी सपठित 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
26.	विजय उर्फ काणा पुत्र राजू सिंह	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
27.	महेन्द्र उर्फ धोलू पुत्र मोतीलाल मीणा	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376(एबी) भादस एवं धारा 5(एम)(आई)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) दण्डित।
28.	अरविन्द पुत्र भगवान	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	जमशेद उर्फ गुबरी पुत्र छोटे खां	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट 5(आर)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल) से दण्डित।
30.	गोवर्धनलाल पुत्र मोहनलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(3)आई.पी.सी एवं पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
31.	कमलेश पुत्र रमेशचंद	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(3) आईपीसी व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
32.	बृजमोहन उर्फ भाया पुत्र मांगीलाल	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट 5(आई)(एम)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
33.	परशुराम मीना पुत्र रामकिशन मीना	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(3) आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

34.	रामअवतार पुत्र तिलोकाराम मेघवाल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376डी एवं 376(2)(झ)आई.पी.सी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
35.	अब्दुल अजीज पुत्र इकबाल खां	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
36.	कृष्णकुमार वर्मा पुत्र भागीरथ मल वर्मा	वि.के.का.श्यालावास	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
37.	मुकेश पुत्र भोजाराम	वि.के.का.श्यालावास	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
38.	नरेन्द्र पुत्र रामभरोसी	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट 5(एम)/6 में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
39.	जीतूसिंह उर्फ मोटा पुत्र रामदेव	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376(एबी) आईपीसी सपठित धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
40.	अजय कुमार उर्फ सोनू पुत्र भगवानाराम	वि.के.का.श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी व पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
41.	पवन सिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत	के.का.कोटा	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
42.	अर्जुन पुत्र हंसराज	वि.के.का.श्यालावास	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
43.	शम्भू उर्फ रूद्राक्ष पुत्र द्वारकालाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
44.	रमेश पुत्र हीरालाल	के.का.अजमेर	पोक्सो एक्ट 5(आई)(एम)/6 में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
45.	सोनू उर्फ सावन सुलानिया पुत्र प्रहलाद	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट 5(जी)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल) से दण्डित।
46.	राहुल पुत्र महावीर	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(3)आई.पी.सी एवं 5एम/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
47.	राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र कैलाश	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट 5(जी)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल) से दण्डित।
48.	पंकज उर्फ प्रेम पुत्र रामकृपाल	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट 5(जी)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल) से दण्डित।



49.	सुरेश पुत्र दल्ला	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी भादस (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
50.	अजाराम पुत्र रावताराम	के.का.जोधपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) से दण्डित।
51.	जगदीश उर्फ लोहड़े उर्फ छोटे पुत्र जगमोहन	के.का.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
52.	सलमान पुत्र जमील	जि.का.धौलपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
53.	मंगला पुत्र पुना	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(2) आई.पी.सी 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
54.	निकलेश उर्फ मुकलेश पुत्र लक्ष्मीनारायण	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
55.	जोधराज पुत्र भंवरलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
56.	उमाराम पुत्र नरसाराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
57.	दीपू उर्फ दीपक पुत्र दिनेश त्यागी	जि.का.धौलपुर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
58.	कमल कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद	के.का.अलवर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
59.	सुमित कुमार उर्फ छोटू पुत्र राजेश	के.का.अलवर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
60.	भारत उर्फ भरत पुत्र रामा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
61.	योगेश पुत्र रामसहाय	के.का.अलवर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
62.	मुकेश पुत्र चम्पालाल मेघवाल	के.का.कोटा	5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
63.	सोनू पुत्र नानू मोहम्मद	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(एन)आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
64.	रविकांत उर्फ रवि पुत्र गंगाप्रसाद	जि.का.धौलपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
65.	दशरथ सिंह पुत्र भैरूलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(एफ) आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।


66.	हनुमानाराम पुत्र वजाराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 07 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
67.	पप्पू उर्फ दुर्गाशंकर पुत्र अमरलाल	के.का.कोटा	9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
68.	चतरा उर्फ चंतुर्भुज पुत्र सुखदेवा	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
69.	लेखराज पुत्र श्योजी नागर	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
70.	राधेश्याम पुत्र बृजलाल	के.का.श्रीगंगानगर	9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
71.	छोटूलाल पुत्र हीरालाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
72.	अर्जुन उर्फ दूल्हा पुत्र पुरीलाल	के.का.कोटा	9(के)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
73.	सोनू बैरवा पुत्र रघुनाथ	के.का.कोटा	9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
74.	मंदीप जाट पुत्र जयवीर सिंह	के.का.कोटा	पोक्सो एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
75.	मोहम्मद आरिफ पुत्र शकूर अली	के.का.जोधपुर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार (02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-


क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	राजेन्द्र उर्फ टंटी पुत्र चौथीराम	के.का.कोटा	बंदी को कदाचार की श्रेणी में आने पर 19.11.25 को जेल दाखिल किया एवं 06 दिवस अर्जित परिहार जन्त किए जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।
2.	जनक सिंह पुत्र धर्मसिंह	के.का.कोटा	बंदी को कदाचार की श्रेणी में आने पर 19.11.25 को जेल दाखिल किया एवं 06 दिवस अर्जित परिहार जन्त किए जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।

3.	मोरपाल पुत्र किशन	के.का.कोटा	बं.खु.शि. कोटा से दिनांक 10.09.16 से 23.01.20 तक फराशुदा। बं.खु.शि. नरसिंहपुरा, बीरानी से दिनांक 07.05.23 से 22.10.25 तक फरारशुदा।
4.	संतोष कुमार पुत्र नन्दकिशोर	के.का.कोटा	बंदी को कदाचार की श्रेणी में आने पर 19.11.25 को जेल दाखिल किया एवं 06 दिवस अर्जित परिहार जब्त किए जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।
5.	मानसिंह उर्फ पिकड़ा पुत्र जगन्नाथ	के.का.उदयपुर	बं.खु.शि. पक्कासारणा से दिनांक 27.07.22 से 01.10.22 तक एवं बं.खु.शि. पेट्रोल पम्प बांरा से दिनांक 18.09.25 से 04.10.25 तक फरारशुदा।
6.	श्रवणसिंह पुत्र कश्मीरसिंह	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
7.	बहादुर राम पुत्र सोहनलाल	के.का.श्रीगंगानगर	बं.खु.शि.कल्याण भूमि श्रीगंगानगर से दिनांक 25.05.25 से 22.11.25 तक फरारशुदा।
8.	देवीलाल पुत्र भंवरलाल	के.का.उदयपुर	बं.खु.शि. राजसमंद से दिनांक 09.10.24 से 31.10.25 तक फरारशुदा।
9.	भारत पुत्र घेवरराम रेगर	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 397 भादस में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	कपिल बुडानिया पुत्र अशोक कुमार	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 460/149 आई.पी.सी में आजीवन कारावास से दण्डित।
11.	चुनसिंह उर्फ सोहनसिंह पुत्र कुपसिंह रावत	के.का.उदयपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (प्र.सं. 251/17 अन्तर्गत धारा 376 आई.पी.सी)
12.	सुनिल माईदासानी उर्फ सन्नी पुत्र मोहन माईदासानी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 भादस में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	लक्की गर्ग पुत्र देवीलाल गर्ग	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 भादस में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
14.	श्रीराम पुत्र दोलतराम आमेटा	के.का.उदयपुर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
15.	शेखर पुत्र सत्यप्रकाश	के.का.जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं) बंदी को दिनांक 24.03.2024 को 30 दिवस मुलाकात एस.टी.डी सुविधा, कैन्टीन

			सुविधा से वंचित के जेल दण्ड से दण्डित किया।
16.	अनिल कुमार उर्फ भिरिया पुत्र रमेश कुमार	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबन्धित धारा 397 भा.द.सं. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
17.	प्रकाश पुत्र शंकर पटेल	के.का.उदयपुर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।(जमानत नही)
18.	विजय कुमार पुत्र बाबुलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबन्धित धारा 397 भा.द.सं. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
19.	राकेश पुत्र दर्शनकुमार	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	अजय उर्फ शयोदान पुत्र हरिसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबन्धित धारा 397 भा.द.सं. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
21.	रामूराम पुत्र दुलाराम	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबन्धित धारा 394/34 आई.पी.सी में आजीवन कारावास से दण्डित।
22.	कालूलाल उर्फ कालूराम पूत्र संग्राम उर्फ सकराम	के.का.अलवर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन प्रकरण संख्या 220/18 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट जे.सी. वारण्ट में विचाराधीन है।
23.	आदिल पुत्र मजीद	के.का.अलवर	प्रतिबन्धित धारा 395 भा.द.सं. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं बंदी 02 से अधिक 04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
24.	जयराम विशनोई पुत्र भंवरलाल विशनोई	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
25.	लक्ष्मणराम पुत्र नारायण राम	के.का.जोधपुर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
26.	श्रवण पुत्र कोजाराम भील	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
27.	मोहम्मद समीर पुत्र अनीश अहमद उर्फ मोहम्मद अनीस	जि.का.झुन्झुनू	बंदी द्वारा दिनांक 30.04.24 को श्री सुरजनारायण सोनी कारापाल के उपर हमला करने के कारण बंदी के विरुद्ध एफ.आई.आर 123/2024 पुलिस थाना बिछवाल अन्तर्गत धारा 332, 353 आई.पी.सी दर्ज। उक्त प्रकरण में बंदी विचाराधीन चल रहा है।



28.	गुरसेवक सिंह पुत्र बलवीर सिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	जगदीश पुत्र दुनीराम,	के.का.श्रीगंगानगर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
30.	लाभसिंह उर्फ लाभू पुत्र जोगेन्द्र सिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
31.	मलखान सिंह पुत्र रामदल	के.का.भरतपुर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
32.	अर्जुन मीणा पुत्र श्याम सिंह	के.का.भरतपुर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
33.	शाहनवाज पुत्र नेक मोहम्मद	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
34.	शौकत अली पुत्र रोशन खां	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
35.	रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
36.	दिनेश पुत्र हरूराम विशनोई	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
37.	धीरज उर्फ मोटा पुत्र जसवंत	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
38.	सुनिल पुत्र बृजमोहन सिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
39.	रामलाल पुत्र भंवरलाल	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
40.	भूपेन्द्र सिंह उर्फ भिन्दर पुत्र सुखदेव सिंह	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
41.	अजायब सिंह पुत्र गुरजंट सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
42.	अमनदीप सिंह उर्फ अमन उर्फ दीप पुत्र गुरचरण सिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
43.	राजेश कुमार उर्फ राजु गौड़ पुत्र दलीपराम	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
44.	बुटासिंह पुत्र बरकत सिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
45.	सेवाराम पुत्र मोतीराम	के.का. अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
46.	कमलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह	के.का.उदयपुर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
47.	रतनलाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर	के.का.उदयपुर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(Handwritten signatures and marks)

48.	अंकुश कुमार पुत्र लखविन्दर	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
49.	नाहरू मेहव पुत्र शेरू	के.का.उदयपुर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 11 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
50.	अमनाराम उर्फ अमानराम पुत्र आसुराम	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
51.	कमलेश पुत्र शंकरलाल भादू	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
52.	दिनेश पुत्र बन्नाराम देवासी	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
53.	सोनाराम पुत्र सेंथीराम उर्फ हेतीडराम देवासी	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
54.	मुखत्यारसिंह उर्फ मुखा पुत्र बलवीरसिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
55.	ओमप्रकाश पुत्र चतुर्भुज	के.का.अजमेर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
56.	महावीर प्रसाद पुत्र रामदेव खटीक	के.का.कोटा	दिनांक 23.09.2025 को खुला बंदी शिविर कोटा से फरार हो गया। बाद फरारी दिनांक 25.11.2025 को जेल दाखिल हुआ है।
57.	रोहित आसवानी पुत्र महेश आसवानी	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
58.	राजीया पुत्र नाथिया	के.का.उदयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित, एवं 01 अन्य प्रकरण में विचारधीन प्रोडेशन वारण्ट में अन्तर्गत धारा 302, 396 (प्रतिबंधित), 120बी आई.पी.सी
59.	रामवीर उर्फ पप्पू पुत्र भगवान सिंह	जि.का.धौलपुर	बंदी को दिनांक 16.01.25 को 07 दिवस बंदियान कैटिन व एसटीडी की सुविधा से वंचित रखने के जेल दण्ड से दण्डित किया।
60.	प्रेमचंद पुत्र रामलाल	के.का.कोटा	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
61.	रोशन लाल पुत्र घीसू लाल	वि.के.का. श्यालावास	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
62.	दुर्गेश उर्फ पप्पूलाल पुत्र किशोर दरोगा	के.का.कोटा	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
63.	अनिल कुमार पुत्र राजकुमार	वि.के.का. श्यालावास	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
64.	मोहर सिंह उर्फ सोनू पुत्र बेलूराम	के.का.अलवर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

65.	अजीत शर्मा पुत्र ओमप्रकाश	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
66.	विष्णु पुत्र ताराचंद	के.का.अलवर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
67.	मनोहर सिंह पुत्र रामविलास	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
68.	दीपेन्द्र जैन पुत्र चेतन कुमार जैन	जि.का.टोंक	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
69.	दर्शन सिंह उर्फ मल्ली पुत्र मोहन सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
70.	हजारीलाल पुत्र दौलतराम	के.का.कोटा	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
71.	मोहनदान पुत्र दलपतदान	के.का.उदयपुर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
72.	रामबाबू पुत्र मोहन सिंह	के.का.भरतपुर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
73.	ओमी उर्फ ओम सिंह पुत्र कल्याण सिंह	जि.का.धौलपुर	प्रतिबंधित धारा 399,402 भादस में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 9 आरडीए एक्ट में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित। 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
74.	परमेन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह	के.का.जयपुर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
75.	अमरीक सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह	के.का.बीकानेर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
76.	शंकर लाल शर्मा पुत्र कजोडमल	के.का.अलवर	एन.डी.पी.एस.एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
77.	वरूण कुमार पुत्र लालचंद उर्फ डालू	के.का.श्रीगंगानगर	एन.डी.पी.एस. एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

(स) अन्य कारणों से प्रकरण अस्वीकृत:-


क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	रूपाली पत्नी सिराजुल	म.ब.सु.गृह जयपुर	महिला बंदी बांग्लादेश की निवासी है। प्रक्रियानुसार अन्य देश के बंदियों को सजा पूर्ण होने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर पर रखा जाकर इन्हें इनके देश में प्रत्यावर्तन करने की कार्यवाही की जाती है।

2. अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	फिरोज उर्फ काउ पुत्र अब्दुल सलाम	के.का.कोटा	बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है। इन प्रकरणों में बंदी की जमानत हुई अथवा नही की स्पष्ट स्थिति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखा जावे।



(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर




(पी.रामजी)
सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर



(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर



(एल.आर.मीणा)
सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर



(सत्यपाल जांगिड़)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर



(जगमोहन मित्रुका)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान, जयपुर